

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56451-56454]

मंगलवार, 14 मार्च, 2017

सं.56451

विधेयक कार्यालय

9 से 10 मार्च, 2017 के दौरान विधेयकों की प्रगति

क्रम सं.	विधेयक का नाम	प्रभारी मंत्री/ सदस्य	प्रगति
सरकारी विधेयक			
1.	मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2017.	श्री बंडारू दत्तात्रेय	विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, संशोधनों के साथ लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा 10 मार्च, 2017 को इसे राज्य सभा के पटल पर रखा गया।
2.	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016.	श्री राजनाथ सिंह	विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 10 मार्च, 2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।
3.	नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2017.	श्री नितिन जयराम गडकरी	विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 10 मार्च, 2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

1. वरिष्ठ नागरिकों, श्री राजकुमार धूत 10 मार्च, 2017 को
मंदबुद्धि बालकों और पुरःस्थापित।
निःशक्त व्यक्तियों के
लिए अनिवार्य स्वास्थ्य
बीमा विधेयक, 2016.
2. युवक (बेरोजगारी का श्री राजकुमार धूत 10 मार्च, 2017 को
उन्मूलन और प्रकीर्ण पुरःस्थापित।
उपबंध) विधेयक,
2016.
3. भारतीय जल संरक्षण श्री राजकुमार धूत 10 मार्च, 2017 को
प्राधिकरण विधेयक, पुरःस्थापित।
2016.
4. उच्च न्यायालय श्री भूपेन्द्र यादव 10 मार्च, 2017 को
(राजभाषा का प्रयोग) पुरःस्थापित।
विधेयक, 2016.
5. संविधान (संशोधन) श्री शान्ताराम 10 मार्च, 2017 को
विधेयक, 2016 नायक पुरःस्थापित।
(अनुच्छेद 324 का
संशोधन)
6. राष्ट्रीय जलमार्ग श्री शान्ताराम 10 मार्च, 2017 को
(संशोधन) विधेयक, नायक पुरःस्थापित।
2016.
7. संविधान (संशोधन) श्री शान्ताराम 10 मार्च, 2017 को
विधेयक, 2016 नायक पुरःस्थापित।
(अनुच्छेद 51क का
संशोधन)

- | | | | |
|-----|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 8. | केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2016. | श्री प्रदीप टम्टा | 10 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित। |
| 9. | स्वैच्छिक संगठन (विनियमन) विधेयक, 2016. | श्री प्रदीप टम्टा | 10 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित। |
| 10. | मृत्यु दंड उत्सादन विधेयक, 2016. | श्री प्रदीप टम्टा | 10 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित। |
| 11. | भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016. | श्री हुसैन दलवई | 10 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित। |
| 12. | दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016. | श्री हुसैन दलवई | 10 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित। |
| 13. | भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, 2016. | श्री हुसैन दलवई | 10 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित। |
| 14. | छद्म विज्ञापन (प्रतिषेध) विधेयक, 2016. | डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी | 10 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित। |
| 15. | निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016. | डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी | 10 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित। |
| 16. | संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेदों 121क और 211क का अंतःस्थापन) | डा. के. वी. पी. रामचन्द्र राव | 10 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित। |

17. आतंकवाद प्रायोजक देश श्री राजीव 10 मार्च, 2017 को की घोषणा विधेयक, चन्द्रशेखर विधेयक पर आगे चर्चा 2016. जारी रखी गई और विधेयक को उसी दिन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सं.56452

एम. ए. अनुभाग

विशेष छूट योजना के तहत केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की सिफारिश के लिए संसद सदस्यों को कूपन जारी किया जाना

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के अधिकारी विशेष छूट योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की सिफारिश के लिए राज्य सभा के सदस्यों को कूपन जारी किये जाने हेतु 15 मार्च, 2017 से 10 अप्रैल, 2017 तक म.पू. 10.00 बजे से म.प. 5.00 बजे के बीच अध्यक्ष, आवास समिति कक्ष अर्थात् कमरा सं. 66, प्रथम तल, संसद भवन के बाहर उपलब्ध होंगे।

सदस्य कृपया इस सुविधा का लाभ उठायें।

सं.56453

एम. ए. अनुभाग

श्री शमशेर सिंह मन्हास, संसद सदस्य का स्थानीय पता

श्री शमशेर सिंह मन्हास, संसद सदस्य का स्थानीय पता निम्नानुसार होगा:-

फ्लैट नं. 102,
ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट,
डा. बी.डी. मार्ग,
नई दिल्ली-110001.

सदस्यगण कृपया इसे सूचनार्थ नोट कर लें।

सं.56454

प्रश्न शाखा

प्रश्नों की सूचनाओं के बैलट का परिणाम

राज्य सभा की 30 मार्च, 2017 को होने वाली बैठक के लिए 14 मार्च, 2017 को म.प. 3.00 बजे तक प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में 14 मार्च, 2017 को महासचिव की उपस्थिति में बैलट कराया गया।

सदस्यों की सूचना हेतु तारांकित प्रश्नों के बैलट के परिणाम को सूचना कार्यालय में रखा गया है और बाहरी लॉबी में सूचना पट्ट पर भी लगाया गया है।

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।